

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 06 / 11 / 2007

- संख्या-3/प्रो0-1-12/2007- 914(3)/स्वा0, राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के सलग्न परिशिष्ट-"क" में अंकित 215 (दो सौ पन्द्रह) वैसे चिकित्सा पदाधिकारियों को वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 4685 वी.(2) दिनांक 25.6.2003 के आलोक में 12 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने के फलस्वरूप कॉलम-6 में अंकित तिथि से वेतनमान रूपये 10,000-15,200 में प्रथम वित्तीय उन्नयन तथा 24 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने के फलस्वरूप कॉलम-6 में अंकित तिथि से वेतनमान रू0 12,000-16,500 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाता है ।
- 2) राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के गैर शैक्षणिक सम्वर्ग के विभिन्न स्तरों के पदों के लिए दिनांक 01.01.1996 में पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5989 (वि.) दिनांक 16.08.2004 द्वारा दी गई है । इसके द्वारा सम्वर्ग में प्रोन्नति का पहला उत्क्रम वेतनमान रूपये 10,000 - 15,200 और द्वितीय उत्क्रम वेतनमान रू0 12,000-16,500 में लाभ दिया जाना है ।
- 3) सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ उच्चतर वेतनमान तक ही सीमित है और इसके अधीन सम्बंधित सरकारी सेवक को उच्चतर वेतन के पदनाम, कर्त्तव्य और दायित्व प्राप्त नहीं होंगे ।
- 4) सरकारी सेवक स्कीम के अधीन मंजूर किये गये उच्चतर वेतनमान के आधार पर सेवा निवृत्ति/सेवान्त आर्थिक लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे ।
- 5) किसी वरीय कर्मी को इस आधार पर कोई वित्तीय वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जायगा कि उसकी श्रेणी में उससे कनीय कर्मी स्कीम के अधीन उच्चतर वेतनमान में वेतन पा रहे हैं ।
- 6) स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारी का वेतन वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 4685(वि.) दिनांक 25.06.2003 एवं 1802(वि.) दिनांक 25.3.2006 के अनुसार निर्धारित किया जायगा ।
- 7) मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी, (स्वास्थ्य सेवा के संविदा पर नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी को छोड़कर) इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान में सहायक निदेशक एवं उसके उपर के पद पर पदस्थापित तथा जिनका सम्वर्ग अब झारखंड राज्य हो गया है इनके सम्बंध में यह लागू नहीं होगा ।
- 8) महालेखाकार प्राधिकार पत्र निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी कर्मी विभागीय दायित्वों को पूरा करते हैं तथा 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके हैं एवं उक्त अवधि में कोई अवधि अविनियमित नहीं हो तथा सेवा में टूट नहीं हो । स्कीम के अधीन प्रदत्त वेतनमान में नियमित प्रोन्नति दी जानी हो तो नियमितिकरण का लाभ मंजूर नहीं किया जायेगा ।
- 9) संलग्न विवरणी में अंकित 215 (दो सौ पन्द्रह) चिकित्सकों के सम्बंध में महालेखाकार/वित्त विभाग/प्रशासी विभाग/निगरानी या अन्य स्रोतों से किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर सम्बंधित चिकित्सकों को प्रदत्त ए.सी.पी. योजना के लाभ से सम्बंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित/विलोपित कर दिया जायगा तथा उनसे भुगतान की गई राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायगी ।
- 10) वरीयता सूची का अन्तिम रूप से प्रकाशन नहीं हुआ है । अधिसूचना में अंकित सूचनाएँ अन्तिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन अथवा महालेखाकार के यहाँ संधारित अभिलेख के अनुसार रूपान्तरित एवं संशोधित किया जा सकेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

(Handwritten Signature) 6.11.07

(नृपति मंडल)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/प्रो0-1-12/2007-

914(3)

पटना, दिनांक- 06 / 11 / 2007

प्रतिलिपि - महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । महालेखाकार प्राधिकार पत्र निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारी, ए.सी.पी. योजना की अनुमान्यता की समस्त अर्हताएँ पूरी करते हैं ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/समी सिविल सर्जन को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्तर से ज्ञापांक अंकित कर सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारी को इसकी प्रति निश्चित रूप से प्राप्त करा दें ।

प्रतिलिपि - सभी अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव सह परामर्शी बिहार के सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख के निजी सहायक/स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

(Handwritten Signature) 6.11.07
सरकार के संयुक्त सचिव

क्रमांक.	पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि	योगदान की तिथि	अभ्युक्ति
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	डा० (श्रीमती) मीरा चौधरी	1500	20.5.45	14.5.71	अधिसं-144(3) दिनांक 3.3.2006 द्वारा 10,000-15,200 रु० का वेतन 01.1.1996 से अनुमान्य किया गया है एवं 139(3) दिनांक 20.2.2007 द्वारा इन्हें 1.2.2002 से वेतनमान रु० 12,000-16,500 में प्रोन्नति दिया गया है। अतः द्वितीय ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
2	डा० अरुण कुमार	1532	31.12.45	24.5.71	प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
3	डा० रामकरण सिंह	1608	3.2.44	1.9.71	144(3) दिनांक 3.3.2006 से रु० 10,000-15,200 का वेतन अनुमान्य 01.01.1996 से अतः द्वितीय ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
4	डा० श्रीनिवास राय	1629	26.11.44	1.9.71	144(3) दिनांक 3.3.2006 से रु० 10,000-15,200 का वेतन अनुमान्य 1.1.1996 से अतः द्वितीय ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
5	डा० सुरेन्द्र सिंह	1661	11.11.44	28.8.71	प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
6	डा० तपेश्वर मिश्रा	1785	9.3.45	7.6.72	प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
7	डा० राधा रमण प्रसाद	1818	8.7.48	30.5.72	प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. 9.8.1999 से प्रदान किया जाता है।
8	डा० निर्मला कुमारी	1873	6.2.44	8.7.74	प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
9	डा० हजारीमल सथालिया	1964	17.7.45	12.9.70	144(3) दिनांक 3.3.2006 से रु० 10,000-15,200 का वेतन अनुमान्य 1.1.96 से अतः द्वितीय ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
10	डा० सत्य नारायण सिंह "सौमित्र"	1985	2.1.46	21.12.73	प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से द्वितीय ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
11	डा० (कुमारी) उषा कुमारी सिन्हा	2033	25.7.46	12.7.74	प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
12	डा० श्याम नारायण सिंह	2184	4.7.47	26.6.72	प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
13	डा० जगदीश राय	2377	17.6.46	30.4.75	प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
14	डा० प्रकाश चन्द्र चौधरी	2637	6.7.49	19.4.78	प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से एवं द्वितीय ए.सी.पी. 19.4.2002 से प्रदान किया जाता है।
15	डा० यमुना प्रसाद राय	2853	1.1.42	20.4.78	प्रथम ए.सी.पी. 09.08.99 प्रदान किया जाता है।
16	डा० (श्रीमती) शशि शर्मा	2860	7.1.49	4.6.76	प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से एवं द्वितीय ए.सी.पी. 4.6.2000 से प्रदान किया जाता है।
17	डा० (श्रीमती) मंजूला	2985	8.9.44	5.9.76	चूंकि विभागीय कार्यवाही में सर्राह मुक्ति दी जा चुकी है अतः प्रथम ए.सी.पी. 09.08.99 से एवं द्वितीय ए.सी.पी. 5.9.2000 से प्रदान किया जाता है।
18	डा० अशोक कुमार झा	3130	15.2.52	19.3.79	दिनांक 15.10.82 से 31.1.83 तक अविनियमित अवधि के कारण प्रथम ए.सी.पी. 09.08.99 से प्रदान किया जाता है।
19	डा० विनोद कुमार बिहारी	3182	1.9.51	21.3.79	प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 एवं द्वितीय 21.3.03 से प्रदान किया जाता है।
20	डा० गोविन्द प्रसाद खोवाला	3183	29.6.51	22.3.79	प्रथम ए.सी.पी. 09.08.99 एवं द्वितीय 22.3.03 से प्रदान किया जाता है।
21	डा० कृष्ण कुमार प्रसाद	3388	25.8.51	21.3.79	अविनियमित अवधि 22.7.79 से 14.1.81 के कारण प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 एवं द्वितीय ए.सी.पी. 15.1.2005 से प्रदान किया जाता है।
22	डा० त्रिवेणीनाथ शुक्ला राजन	3413	9.1.47	14.3.79	प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से एवं द्वितीय ए.सी.पी. 14.3.2003 से प्रदान किया जाता है।
23	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह	3611	21.10.46	21.3.79	प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से एवं द्वितीय ए.सी.पी. 21.3.2003 से प्रदान किया जाता है।
24	डा० कान्ति मोहन सिंह	3621	3.8.51	19.3.79	अधिसं-822(9) दिनांक 14.9.2007 से आरोप मुक्त होने के आधार पर प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से एवं द्वितीय ए.सी.पी. 19.3.03 से प्रदान किया जाता है।
25	डा० उषा वर्मा	3639	3.1.50	24.2.79	प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
26	डा० प्रभाकर सिंह	3090	18.1.52	19.3.79	प्रथम ए.सी.पी. 09.08.99 एवं द्वितीय 19.3.03 से प्रदान किया जाता है।
27	डा० सुधीर कुमार सिन्हा	3790/05	16.8.47	1.2.80	प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 एवं द्वितीय ए.सी.पी. 1.2.2004 से प्रदान किया जाता है।
28	डा० उमाकान्त झा	4040	1.1.53	15.7.81	प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 एवं द्वितीय

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
29	डा० विरेन्द्र कुमार राय	4062	2.4.52	15.7.81	16.7.81 से 30.9.81 एवं 3.9.82 से 15.5.83 तक अविनियमित अवधि रहने के कारण मात्र प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया जाता है।
30	डा० सुशील कुमार सिंह	4295	1.7.49	1.10.81	संगत वर्ष जून 2000 के लिए अधिसूचना सं-1014(9) दिनांक 11.7.2005 द्वारा निन्दन की सजा दी गयी है जिसका प्रभाव 01.4.2004 से समाप्त हो जा रहा है अतः प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से द्वितीय 01.10.2005 से प्रदान किया जाता है।
31	डा० श्री प्रसाद	4986	1.2.48	1.2.81	प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से एवं द्वितीय ए.सी.पी. 1.2.2005 से प्रदान किया जाता है।
32	डा० मृदुला पाण्डेय	5072	21.3.56	9.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 9.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
33	डा० विजेन्द्र नाथ सिंह	5083	2.1.54	19.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 19.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
34	डा० (श्रीमती) अंजुम आरा	5101	20.1.53	29.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 29.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
35	डा० श्रीचन्द्र भवनानी	5104	13.9.56	24.9.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 24.9.2007 से प्रदान किया जाता है।
36	डा० रंजीत कुमार	5115	28.2.55	13.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 13.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
37	डा० लक्ष्मी शरण दूबे	5117	8.5.53	11.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 11.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
38	डा० सीता बल्लभ शरण	5121	5.8.55	26.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 26.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
39	डा० सुधाशु कुमार जैन	5122	25.11.55	11.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 11.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
40	डा० महेश्वर प्रसाद गुप्ता	5138	15.8.55	18.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 18.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
41	डा० रामाशंकर तिवारी	5144	15.9.54	17.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 17.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
42	श्रीमति निहारीका (श्रीवास्तव) शेखर	5177	12.7.57	24.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 24.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
43	अशोक कुमार वर्मा	5187	2.2.56	25.9.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। दिनांक 1.10.83 से 2.4.84 तक की अवधि अविनियमित है। अतः द्वितीय ए.सी.पी. दि. 2.4.07 से प्रदान किया जाता है।
44	अवधेश कुमार	5205	12.2.55	16.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 16.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
45	महावीर ठाकुर	5210	5.1.57	12.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 12.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
46	अशोक कुमार	5221	5.4.55	26.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 26.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
47	महदेव दुबे	5236	28.8.52	24.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 24.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
48	मणि भूषण शर्मा	5249	18.8.54	12.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 12.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
49	बिक्टर साल्वा तोरी	5265	24.10.53	17.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 17.8.2007 से प्रदान किया जाता है।

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
134	हारिका प्रसाद	5858	1.4.52	23.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 23.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
135	राजनारायण दास	5866	4.4.50	12.8.83	अधि.सं-742(3) दिनांक 7.11.2006 द्वारा प्रथम ए.सी.पी. 9.8.99 से प्रदान किया गया है। अतएव द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 12.8.2007 से प्रदान किया जाता है।
136	डा० अनील कुमार ठाकुर	5956	5.1.56	22.3.88	22.3.2000 से प्रथम ए.सी.पी. प्रदान किया जाता है।
137	डा० उदय नारायण सिन्हा	6051	23.3.57	22.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 22.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
138	डा० उमेश चन्द्र शर्मा	6221	1.6.57	11.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 11.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
139	डा० परमेश्वर प्रसाद	6240	05.01.58	10.03.88	17.5.88 से 11.5.90 की अवधि पेंशन प्रदायी नहीं रहने के कारण प्रथम ए.सी.पी. 12.05.2002 से प्रदान किया जाता है।
140	डा० सीमा वर्मा	6309	6.1.59	18.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 18.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
141	डा० विजय कुमार	6357	6.1.54	15.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 15.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
142	डा० कामेश्वर प्र० महतो	6386	26.1.56	15.3.88	संगत वर्ष दिनांक 12.6.2000 में निन्दन की सजा के कारण प्रथम ए.सी.पी. 01.4.2004 से प्रदान किया जाता है।
143	डा० केदार नाथ	6387	9.11.56	12.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 12.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
144	डा० विनोद कुमार चौधरी	6389	15.3.55	22.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 22.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
145	डा० शशि भूषण प्रसाद	6428	2.1.55	12.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 12.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
146	डा० अरुण कुमार शर्मा	6429	1.8.58	30.11.88	प्रथम ए.सी.पी. 30.11.2000 से प्रदान किया जाता है।
147	डा० विनोद कुमार	6451	1.1.56	18.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 18.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
148	डा० मो० हाफिज करिम	6474	1.1.52	17.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 17.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
149	डा० विनय मोहन जी	6482	2.11.53	18.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 18.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
150	डा० अतुल कुमार सिन्हा	6483	11.3.54	15.3.88	25.11.88 से 30.10.89 तक अविनियमित रहने के कारण प्रथम ए.सी.पी. 31.10.2001 से प्रदान किया जाता है।
151	डा० विरेन्द्र नारायण चौबे	6564	10.1.58	17.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 17.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
152	डा० प्रेम शंकर प्र० गुप्ता	6569	13.4.55	22.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 22.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
153	डा० राजेश्वर प्र० सिन्हा	6575	25.1.58	14.4.88	प्रथम ए.सी.पी. 14.4.2000 से प्रदान किया जाता है।
154	डा० राजीव कुमार वर्मा	6583	20.7.55	21.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 21.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
155	डा० सुजाता झा	6635	2.12.60	11.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 11.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
156	डा० सुभाष प्रसाद गुप्ता	6671	7.1.53	22.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 22.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
157	डा० मो० साजिद हुसैन	6718	13.08.57	18.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 18.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
158	डा० विमल कुमार कारक	6756	5.1.1954	21.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 21.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
159	डा० रामकेश्वर प्रसाद सिन्हा	6757	3.11.1953	14.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 14.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
160	डा० श्रीराम प्रसाद	6760	10.1.1957	15.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 15.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
161	डा० राम नरेश पाठक	6763	5.1.1954	16.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 16.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
162	डा० गणेश झा	6772	28.12.54	11.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 11.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
163	डा० कामेश्वर प्रसाद विद्यार्थी	6776	1.1.1955	14.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 14.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
164	डा० विनोद कुमार	6794	1.7.55	17.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 11.12.2003 से प्रदान किया जाता है। दि०-7.3.90 से 11.12.91 की अवधि का विनियमन सहाय नहीं रहने के कारण) सम्प्रति अवकाश में डायरी नं०-2336 दि.13.9.07
165	डा० विमल प्रकाश सिन्हा	6803	26.9.52	15.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 15.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
166	डा० पशुपति मिश्र	6821	20.7.52	11.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 11.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
167	डा० पाण्डेय आलोक कृष्णा सहाय	6822	3.11.54	11.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 11.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
168	डा० अरुण कुमार सिन्हा	6832	25.9.55	15.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 15.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
169	डा० अनीता सुनील	6833	30.10.56	15.3.88	दिनांक 10.9.92 से 13.7.93 तक अविनियमित रहने के कारण प्रथम ए.सी.पी. 14.7.2005 से प्रदान किया जाता है।
170	डा० विरेन्द्र प्रसाद	6835	2.1.54	17.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 17.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
171	डा० रविन्द्र कुमार गुप्ता	6895	15.8.58	16.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 16.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
172	डा० शरद चन्द्रा	6907	5.9.54	17.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 17.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
173	डा० वहावुद्दीन	6919	25.5.53	17.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 17.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
174	डा० राम भवन सिंह	6993	1.11.54	11.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 11.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
175	डा० भारती प्रसाद यादव	7004	15.11.57	15.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 15.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
176	डा० राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	7017	17.11.57	21.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 21.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
177	डा० विनोद कुमार सिन्हा	7028	7.5.58	18.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 18.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
178	डा० दुर्गा प्रसाद सिंह	7061	12.10.51	16.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 16.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
179	डा० सुचि प्रसाद सिंह	7089	19.1.51	26.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 26.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
180	डा० अंजू तुरियार	7102	21.11.59	15.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 15.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
181	डा० विनोद कुमार राय	7117	05.1.57	17.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 17.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
182	डा० शशि शेखर सिंह	7136	10.2.57	16.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 16.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
183	डा० शम्भु प्रसाद सिंह	7157	24.1.58	16.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 16.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
184	डा० पशुपति नाथ प्रसाद	7199	20.11.52	16.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 16.3.2000 से प्रदान किया जाता है।

N

914(3)
06.11.07

→

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
185	डा० अनुप कुमार	7218	4.1.57	19.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 19.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
186	डा० आशुतोष कुमार	7243	6.5.57	26.3.88	अविनियमित अवधि 27.3.88-12.9.89 के कारण प्रथम ए.सी.पी. 13.9.2001 से प्रदान किया जाता है।
187	डा० नीलम कुमारी सहाय	7279	15.11.51	15.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 15.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
188	डा० सौकत अली	7283	1.1.55	16.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 16.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
189	डा० सुरेन्द्र राय	7293	11.2.54	21.3.88	अविनियमित अवधि 1.6.89 से 3.7.89 एवं 17.1.91 से 27.6.91 के कारण प्रथम ए.सी.पी. 28.6.2003 से प्रदान किया जाता है।
190	डा० अनिल कुमार सिंह	7336	11.1.56	17.3.88	अविनियमित अवधि 24.3.88 से 28.9.88 के कारण प्रथम ए.सी.पी. 29.9.2000 से प्रदान किया जाता है।
191	डा० राजीव रंजन सिंह	7383	16.11.57	26.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 26.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
192	डा० सत्य प्रकाश सिंह	7440	1.7.56	11.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 11.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
193	डा० कुमार विजय शंकर	7452	17.8.53	16.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 16.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
194	डा० रविन्द्र कुमार सिन्हा	7456	8.5.56	11.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 11.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
195	डा० रेखा शर्मा	7468	25.11.1959	9.2.88	प्रथम ए.सी.पी. 9.2.2000 से प्रदान किया जाता है।
196	डा० ललित कुमार	7487	1.11.54	12.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 12.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
197	डा० शोभा रेमन	7504	3.9.55	17.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 17.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
198	डा० देव दास चौधरी	7530	10.8.58	12.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 12.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
199	डा० सुरेन्द्र प्रसाद	7567	31.12.57	16.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 16.8.2000 से प्रदान किया जाता है।
200	डा० ब्रजेन्द्र नारायण प्रसाद	7577	4.6.55	16.3.88	प्रथम ए.सी.पी. 16.3.2000 से प्रदान किया जाता है।
201	डा० रामप्रसाद मेहता	7633	10.11.53	11.3.88	दिनांक 29.8.90 से 8.9.90 तक की अवधि अविनियमित रहने के कारण प्रथम ए.सी.पी. 7.9.2002 से प्रदान किया जाता है।
202	डा० अखिलेश कुमार	7746	6.6.59	17.2.90	यदि बॉका से अनाधिकृत अनुपस्थित नहीं हो तो प्रथम ए.सी.पी. 17.2.2002 से प्रदान किया जाता है।
203	डा० रामविलास सिंह	7760	31.08.52	16.2.90	प्रथम ए.सी.पी. 16.2.2002 से प्रदान किया जाता है।
204	डा० शंकर रजक	7800	23.10.61	22.1.90	प्रथम ए.सी.पी. 22.1.2002 से प्रदान किया जाता है।
205	डा० सुरेन्द्र कुमार	8099	29.2.62	6.10.90	23.9.91 से 16.9.93 की अवधि पेंशन प्रदायी नहीं रहने के कारण प्रथम ए.सी.पी. 17.9.2005 से प्रदान किया जाता है।
206	डा० रवि शंकर सिंह	8107	07.01.60	30.10.90	प्रथम ए.सी.पी. 30.10.2002 से प्रदान किया जाता है।
207	डा० मोहन केजरीवाल	8112	01.04.56	25.10.90	प्रथम ए.सी.पी. 25.10.2002 से प्रदान किया जाता है।
208	डा० नुतन नारायण	8415	08.11.60	20.11.90	20.11.90 से 19.4.91 तक अविनियमित अवधि के कारण प्रथम ए.सी.पी. 20.4.2003 से प्रदान किया जाता है।
209	डा० सुनील कुमार	8460	02.11.63	18.11.90	अविनियमित अवधि 28.9.91 से 1.9.93 के कारण प्रथम ए.सी.पी. 9.2.2005 से प्रदान किया जाता है।
210	डा० गिरिधारी लाल	8478	26.01.56	15.10.90	अविनियमित अवधि 17.10.90 से 11.12.91 के कारण प्रथम ए.सी.पी. 12.12.2003 से प्रदान किया जाता है।
211	डा० अशोक कुमार तिवारी	8704	20.10.59	14.11.90	अविनियमित अवधि 14.11.90 से 24.1.91 के कारण प्रथम ए.सी.पी. 25.1.2003 से प्रदान किया जाता है।
212	डा० नरेश प्रसाद	9075	1.2.61	20.11.90	21.11.90 से 15.4.91 तक अध्ययन अवकाश की अवधि अविनियमित रहने के कारण प्रथम ए.सी.पी. 16.4.2003 से प्रदान किया जाता है।
213	डा० प्रतीमा	9082	11.12.62	15.10.90	17.10.90 से 5.11.91 तक की अवधि अविनियमित रहने के कारण प्रथम ए.सी.पी. 06.11.2003 से प्रदान किया जाता है।
214	डा० राजेश कुमार सिन्हा	9515	01.06.58	24.1.91	निन्दन की सजा के कारण प्रथम ए.सी.पी. 01.4.2004 से प्रदान किया जाता है।
215	डा० पूनम सिन्हा	9701	1.3.64	25.1.91	निन्दन की सजा के कारण प्रथम ए.सी.पी. 01.4.2004 से प्रदान किया जाता है।

17/

914(3)

06.11.07